

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 766

दिनांक- 02-12-2023

कार्यालय आदेश

मैं, विकास ऐचरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि निम्नलिखित कॉलम संख्या-2 में अंकित अवकाश के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु **माह दिसम्बर, 2023** की अवधि में कॉलम संख्या 2 में अंकित दिनांक के लिये कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/ श्रीमती /सुश्री	न्यायालय का नाम
1	2	3	4
1.	03.12.2023	श्रीमती पायल गौतम	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-2, श्रीमाधोपुर
2.	09.12.2023 व 10.12.2023	श्रीमती ममता रोहिला	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस
3.	17.12.2023	श्रीमती अनिशा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना
4.	23.12.2023 व 24.12.2023	श्री दिलीप कुमार मीणा	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-2, सीकर
5.	01.01.2024	श्री हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर


नोट:-

1. **माह दिसम्बर 2023** में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उक्त अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक फौजदारी कार्यों हेतु अधिकृत अधिकारीगण:-

1.	01.12.2023 से 15.12.2023	श्री दिलीप कुमार सैनी	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर
2.	16.12.2023 से 24.12.2023	श्री सुरेश कुमार तृतीय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला

नोट-

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
2. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से 01.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पोक्सो कोर्ट से संबंधित पेश की जाने वाली एफ.आई.आर. को संबंधित पोक्सो कोर्ट (पोक्सो कोर्ट क्रम-1 या पोक्सो कोर्ट क्रम-2) को ही भेजी जाना सुनिश्चित करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

क्रमांक- 767-777

दिनांक- 02-12-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
- 2- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर
- 4- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 व 02, सीकर, रींगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, क्रम संख्या-1 व 2 नीमकाथाना, क्रम संख्या-1 व 2 श्रीमाधोपुर
- 5- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/क्रम-1, 2 व 3 सीकर/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (NIAct) प्रकरण सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/लक्ष्मणगढ़/खण्डेला/फतेहपुर
- 6- अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर
- 7- कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर
- 8- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/दांतारामगढ़/रींगस/धोद/खण्डेला
- 9- सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
- 10- इंचार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, सीकर
- 11- आदेश/संबंधित पंजिका

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)